

प्रेस नोट - दिनांक 17.09.2026
थाना कोतवाली सदर, जनपद उन्नाव ।

पीड़ित के खाते से फ्रॉड कर निकाली गई 20,000/- रु0 की धनराशि कराई गई रिफण्ड

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन में साइबर अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली सदर पुलिस द्वारा पीड़ित के खाते से फ्रॉड कर निकाले गये 90,000/- रु0 में से 20,000/- रु0 की धनराशि रिफण्ड कराई गई।

संक्षिप्त विवरण- थाना कोतवाली सदर जनपद उन्नाव में आवेदक अशोक कुमार वर्मा पुत्र छविनाथ निवासी सि0ला0 थाना कोतवाली सदर उन्नाव का स्वतः खाते से आनलाइन साइबर पोर्टल पर प्रार्थना पत्र बावत दिनांक 28.06.2026 को आनलाइन बैंकिंग के माध्यम से 90000 /-रुपये का फ्राड होने विषयक दिया गया था । जिसकी शिकायत संख्या 33102260047603 है । जिसमे साइबर हेल्प डेस्क थाना कोतवाली सदर उन्नाव द्वारा आवश्यक प्रपत्र लेकर कार्यवाही की गयी थी। कार्यवाही के क्रम में मु0अ0सं0 195/2026 पंजीकृत किया गया आज दिनांक 17.09.2026 को थाना कोतवाली सदर उन्नाव द्वारा आवेदक की धनराशि 20000/- रुपये आवेदक को वापस करायी गयी । शेष धनराशि वापस कराये जाने की प्रक्रिया की जा रही है।

कार्यवाही करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री चन्द्र कान्त मिश्र
2. अपराध निरीक्षक श्री राजेश यादव
3. महिला आरक्षी सोनिया शर्मा,
4. रिक्रूट आरक्षी जय साहू
5. रिक्रूट आरक्षी एलिश श्रीवास





प्रेस नोट - दिनांक 17.09.2026
थाना फतेहपुर चौरासी, जनपद उन्नाव ।

दुष्कर्म के आरोपी बाल अपचारी को पुलिस संरक्षण में लिया गया

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना फतेहपुर चौरासी पुलिस द्वारा दुष्कर्म के आरोपी बाल अपचारी को पुलिस संरक्षण में लिया गया।

संक्षिप्त विवरण- आज दिनांक 17.09.2026 को प्र०नि० श्री ज्ञानेन्द्र कुमार मय हमराह फोर्स (शादी वर्दी में) द्वारा थाना फतेहपुर चौरासी पर पंजीकृत मु०अ०सं० 286/2026 धारा- 65(1),351(3) BNS व 3/4 पाक्सो एक्ट से संबन्धित बाल अपचारी को पुलिस संरक्षण में लिया गया। बाल अपचारी उपरोक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर माननीय किशोर न्यायालय महोदय उन्नाव के समक्ष पेश किया जा रहा है।

कार्यवाही करने वाली पुलिस टीम:-

- 1.प्र०नि० ज्ञानेन्द्र कुमार
- 2.का० जितेन्द्र सिंह
- 3.का० कन्हैयालाल

प्रेस नोट - दिनांक 17.09.2026

थाना गंगाघाट, जनपद उन्नाव ।

चोरी के दो आरोपी गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना गंगाघाट पुलिस द्वारा चोरी के दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण:- दिनांक 16.09.2026 को श्री गोविन्द कुमार गुप्ता पुत्र रमेश चंद्र गुप्ता नि० वार्ड 18 आर्य नगर गैरेज के सामने थाना गंगाघाट जनपद उन्नाव की तहरीरी के आधार पर थाना गंगाघाट पर मु०अ०सं० 513/26 धारा 305(ए)/331(3) बीएनएस बनाम अज्ञात चोर पंजीकृत किया गया था। आज दिनांक 17.09.2026 को उ०नि० श्री प्रमोद कुमार पाल मय हमराह फोर्स द्वारा उपरोक्त अभियोग से संबन्धित अभियुक्तगण 1.शिवम गौतम पुत्र विजय गौतम निवासी रामनगर थाना घाटमपुर जिला कानपुर नगर हालपता चौकी जरौली पानी टंकी के पीछे थाना बर्बा 2 थाना बर्बा जनपद कानपुर नगर 2.सन्नो देवी पत्नी विजय गौतम निवासी रामनगर थाना घाटमपुर जिला कानपुर नगर हालपता चौकी जरौली पानी टंकी के पीछे थाना बर्बा 2 थाना बर्बा जनपद कानपुर नगर को सीएचसी ठाकुरखेड़ा शुक्लागंज के पास से कब्जे से 68000/- रुपये नगद, 04 अदद बिछिया सफेद धातु, 01 अदद अंगूठी पीली धातु, लाकेट पीली धातु, बरामद कर गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मकुदमा उपरोक्त मे धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गई।

गिरफ्तार अभियुक्त: -

- 1.शिवम गौतम पुत्र विजय गौतम निवासी रामनगर थाना घाटमपुर जिला कानपुर नगर हालपता चौकी जरौली पानी टंकी के पीछे थाना बर्बा 2 थाना बर्बा जनपद कानपुर नगर
- 2.सन्नो देवी पत्नी विजय गौतम निवासी रामनगर थाना घाटमपुर जिला कानपुर नगर हालपता चौकी जरौली पानी टंकी के पीछे थाना बर्बा 2 थाना बर्बा जनपद कानपुर नगर

बरामदगी: - 68000/- रुपये नगद, 04 अदद बिछिया सफेद धातु, 01 अदद अंगूठी पीली धातु, लाकेट पीली धातु,

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम:-

उ०नि० प्रमोद कुमार पाल
का० अंकुर तोमर
का० सोनू कुमार
का० दीपक कुमार
म०का० अर्चना यादव
म०का० अशिश





प्रेस नोट - दिनांक 17.09.2026

थाना कोतवाली सदर, जनपद उन्नाव ।

दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली सदर पुलिस द्वारा दुष्कर्म के वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- वादी मुकदमा द्वारा दिनांक 14.09.2026 को थाना कोतवाली सदर पर मु0अ0सं0 575/26 धारा 137(2)/87 बीएनएस बनाम शिवा पुत्र वीरेन्द्र निवासी मसवासी थाना कोतवाली सदर जनपद उन्नाव पंजीकृत कराया गया था । जिसकी विवेचना म0उ0नि0 गीता सिंह द्वारा सम्पादित की जा रही है म0उ0नि0 गीता सिंह द्वारा पीड़िता को बरामद कर बयान अन्तर्गत धारा 180 व 183 बीएनएसएस दर्ज कराये गये जिसके आधार पर उक्त अभियोग में धारा 64(1) बीएनएस व 5जे(2)/6 पाक्सो एक्ट की बढोत्तरी कर विवेचना व0उ0नि0 राम मिलन यादव को सुपुर्द की गयी । जिनके द्वारा मुकदमा उपरोक्त के वांछित अभियुक्त शिवा पुत्र वीरेन्द्र निवासी मसवासी थाना कोतवाली सदर जनपद उन्नाव उम्र करीब 19 वर्ष को गदनखेडा चौराहे के पास से आज दिनांक 17.09.2026 को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को अन्तर्गत धारा 137(2)/87/64(1) बीएनएस व 5जे(2)/6 पाक्सो एक्ट में नियमानुसार मा0 न्यायालय के समक्ष पेश कर जिला कारागार उन्नाव भेजा गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त: -

शिवा पुत्र वीरेन्द्र निवासी मसवासी थाना कोतवाली सदर जनपद उन्नाव उम्र करीब 19 वर्ष

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम:-

- 1.प्र0नि0 चन्द्र कान्त मिश्र
- 2.व0उ0नि0 राम मिलन यादव
- 3.का0 विनीत गिल ,
- 4.का0 रामसेवक,





प्रेस नोट - दिनांक 17.09.2026

थाना अजगैन, जनपद उन्नाव ।

वारंटी गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना अजगैन पुलिस द्वारा एक वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- आज दिनांक 17.09.2026 को उ०नि० अरुण कुमार सिंह मय हमराह फोर्स द्वारा मा० न्यायालय CJM उन्नाव द्वारा निर्गत NBW सम्बन्धित केस नं० 16845/24 धारा 60/63 आबकारी अधि० बनाम रामनरेश थाना अजगैन के वारण्टी राम नरेश दुरजन कहार निवासी ग्राम विक्रम खेडा थाना अजगैन जनपद उन्नाव उम्र करीब 48 वर्ष को अभियुक्त के घर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार वारंटी को मा० न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त: -

राम नरेश दुरजन कहार निवासी ग्राम विक्रम खेडा थाना अजगैन जनपद उन्नाव उम्र करीब 48 वर्ष ।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ०नि० श्री अरुण कुमार सिंह
2. का० अवनीश कुमार





प्रेस नोट - दिनांक 17.09.2026

थाना बीघापुर, जनपद उन्नाव ।

दुष्कर्म व छेड़खानी के आरोपी गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना बीघापुर पुलिस द्वारा दुष्कर्म व छेड़खानी के दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- आज दिनांक 17.09.2026 को उ०नि० पुरुषोत्तम दास मय हमराह फोर्स द्वारा थाना बीघापुर पर पंजीकृत मु०अ०सं० 140/2026 धारा 3(5)/137(2)/87/64(1)/74/351(3) बीएनएस व धारा 7/8/3/4 पाक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्तगण 1.अरुण कुमार पुत्र स्व० महावीर उम्र करीब 21 वर्ष 2. मनीष कुमार पुत्र स्व० तेज सिंह निवासी गण ग्राम नगला कछुआ थाना एलाऊ जिला मैनपुरी को सातन चौराहा थाना क्षेत्र बीघापुर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों को मा० न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तः -

1. अरुण कुमार पुत्र स्व० महावीर निवासी ग्राम नगला कछुआ थाना एलाऊ जिला मैनपुरी उम्र करीब 21 वर्ष
2. मनीष कुमार पुत्र स्व० तेज सिंह निवासी ग्राम नगला कछुआ थाना एलाऊ जिला मैनपुरी उम्र करीब 23 वर्ष

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ०नि० श्री पुरुषोत्तम दास
2. कां० मुनिराज
3. कां० अंकित तिवारी



